न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या /2021 (2021/)

श्री हकीम पुत्र श्री सुल्तान बक्ष निवासी उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
––प्रार्थी

बनाम

श्री रज्जाक पुत्र श्री सुल्तान बक्ष निवासी उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,131भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित– श्री मिठू सिंह राठौड, वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार , तहसीलदार केकड़ी

–:: आदेश ::–

दिनांक 02.2.2022

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने पुर्व मे वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,92ए,209राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया था पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर दिनाकं 21.06.2018 को केंप कोर्ट न्याय आपके द्वार कैंप सरसडी में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम उगानखेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी 2070–73 के खाता सं140 के आराजी खसरा नं 199 रकबा 1.21 है0 का मुताबित जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था बटंवारा प्रस्ताव तैयार कर मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करे। तहसीलदार केकड़ी के पत्र कमांक 2021/4453 दिनांक 23.7.2021 द्वारा प्रेषित कर बताया कि ग्राम उगानखेडा का खसरा नं 199 जिसका रकबा 1.21 है0 जबकी उपलब्ध नक्शा सीट में 0.96 है0 हे भू–प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नं 199 का नक्शा छोटा बना दिया गया है नक्शा दूरस्त होने पर ही बटवारा प्रस्ताव किया जाना प्रस्तूत है। उक्त रिपोर्ट के पश्चात वादी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र नक्शा दुरस्ती हेतु प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये और जवाब चाहा गया तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ जिसमे बताया गया कि ग्राम उगानखेडा के खसरा नं 199 रकबा 1.21है0 रजाक हिस्सा 1/2, हकीम हिस्सा 1/2, पि0 सुल्तान बक्ष साकिम देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है मुताबित भू–अभिलेख व पटवारी हल्का की रिपोट के अनुसार खसरा न199 रकबा 1.21 के मुकाबले हाल राजस्व नक्शा छोटा है नक्शे की आकृति 0.96 जितनी ही है जिससे बटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं हो सका भू–प्रबंध विभाग द्वारा नक्शा छोटा बना दिया गया है मुताबित मिलान क्षे0 खसरा न199 साबिक खसरा न132/5 से बना है मुताबित वकिंग जमाबंदी के साबिक खसरा नं 36–09–00बीघा सिवाचक दर्ज है नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 6.8.1984 से 7–10बीघा सुल्तान पुत्र बक्षा दाडी के नाम आवंटन हुआ किन्तु साबिक नक्शा में आवंटन की तरमिम नहीं है भू–आंवटन विभाग द्वारा हाल खसरा न121 के मुकाबले व मौका स्थिति के मुकाबले छोटा बना दिया गया मौका स्थिति अनुसार खसरा नं 199, खसरा न 196 गैरमुमकिम रास्ता के उतर व दक्षिण दिशा में बढता है प्रस्तावित दुरस्ती का लाल स्याही से दर्शित नक्शा प्रेषित कर भू–अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि खसरा न 196 में पर्याप्त रास्ता है प्रस्तावित दुरस्ती होने पर निर्णय व डिक्री की पालना हो सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:37:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया पैरोकार सरकार ने भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जवाबानुसार दुरस्ती किये जाने में सहमति प्रस्तुत कि प्रतिवादी सं 1 रजाक कैंप सररााडी में दिनांक 01.12.2021 को उपस्थि हुआ उसने कोई आपति जारी नहीं कि अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सहपठीत धारा 151 स्वीकार किया जाता है तथा मौका स्थिति अनुसार खसरा नं 199 रकबा 1.21 खसरा नं 196 रकबा 3.47 के उतर व दक्षिण दिशा में बढ़ने के आदेश दिये जाते है दुरस्ती प्रस्तुत जवाब के ससाथ संलग्न नक्शानुसार कि जावे। तहसीलदार केकड़ी नक्शा ट्रेश में दुरस्ती की कार्यवाही करे खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:37:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner